IV 01/2021

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature दिलीप कुमार सिंह
ACC Name-Dilip Kr. Singh ACC Code-UP14121804
ACC Address-Samaspur, Khapraha, Jaunpur
Mobile- 7317664529, License No.4
Tehsil & District- Sadar, Jaunpur

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP20232191787589T
Certificate Issued Date	:	01-Jan-2021 11:37 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14121804/ JAUNPUR/ UP-JNP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14121804335562210810717T
Purchased by	:	RAMJEET SO LATE SANEHI
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAMJEET SO LATE SANEHI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAMJEET SO LATE SANEHI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

Stamp Locked
Sub Registrar Sadar

----------Please write or type below this line----------

रामजीत

RS 0002741531

ATTESTED

न्यास विलेख

मैं रामजीत पुत्र स्व. सनेही निवासी ग्राम सलोनी महिमापुर, वि. खण्ड करंजाकला, तहसील सदर, जनपद जौनपुर जिनको आगे चलकर न्यासकर्ता कहा गया है निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता में पला बढ़ा। जब से होस सम्भाला निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता का प्रचार प्रसार करता रहा और उसके संरक्षण और विस्तार के लिए हर सम्भव प्रयास व उपक्रम करता रहा। जिसके लिए मेरे साथ तमाम लोगों द्वारा प्रयास किया जाता रहा है परन्तु कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रहा है। इस आदि कालीन निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता में लोगों को विश्वास (ट्रस्ट) कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा परन्तु एक नीति एक रीति और एक नेतृत्व न होने की वजह से सब बिखरा पड़ा है। जिसे व्यवस्थित करना मेरी प्रबल इच्छा रही अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी आ रहा है वही अपनी सोच में ढालने का प्रयास कर रहा है जिनको सबको एक नीति एक रीति और एक नेतृत्व में लाने के लिए सबको मनमाने पन से रोकता रहा अब मेरा उम्र भी काफी हो चला है समय का कोई भरोसा नहीं है अब मेरे द्वारा उन लोगों को रोकपाना मुस्किल लग रहा है इसलिए अपनी इस आदि कालीन निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता में विश्वास (ट्रस्ट) बनाये रखने वाले लोगों की संख्या अब एक बृहद समाज का रूप धारण कर लिया है जिसे निषाद समाज ही कहना सबसे श्रेयस्कर समझता हूँ जिसके लिए एक नीति एक रीति और एक नेतृत्व के प्रयास को अनवरत बनाये रखने के लिए निषाद समाज ट्रस्ट 5000/(पांच हजार रुपये) धनराशि के साथ निष्पादित किया जा रहा हूँ। न्यास के कुशल संचालन के लिये प्रथम न्यासीमण्डल में उल्लिखित लोगों से बात हो गयी है उक्त लोग प्रथम न्यासीमण्डल का कार्यभार निर्वहन करने के लिए तैयार हैं और हम आशा करते हैं कि प्रथम न्यासीमण्डल बखूबी न्यास का कार्यभार निर्वहन करेंगे

इस प्रकार यह न्यास निम्नलिखित प्रकार से साक्ष्यांकित और घोषित है :-

1. न्यास की स्थापना
   उपरोक्त आकांक्षा को मूर्त रूप देने के लिए न्यासकर्ता न्यास के सभी अधिकार कर्तव्य एवं दायित्व सभी अधिकारों या और जो भी हो के साथ इस न्यास को सदैव के लिए हस्तान्तरित किया जाता है और उक्त को उनमें निहित किया जाता है और न्यासीमण्डल इस सम्पत्ति का उपयोग न्यास के उद्देश्यों (अनुच्छेद-5), जो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (15) की मंशा के अनुरूप हैं, की पूर्ति के लिए करेंगे।
2. न्यास का नाम: न्यास का नाम 'निषाद समाज' होगा।
3. न्यास का कार्यालय न्यास का कार्यालय न्यास के कुशल प्रबंधक रमेश कुमार के घर चकप्यारअली पोस्ट व तहसील सदर जौनपुर स्थित होगा
   निषाद समाज के उद्देश्यों की पूर्ति में निषाद समाज ट्रस्ट का विस्तार जिस जिस क्षेत्र में किया जायेगा उन क्षेत्रों के राजधानी मुख्यालय के क्षेत्र में निषाद समाज का कार्यालय स्थापित किया जाएगा जिसका नाम पता समय- समय पर इसन्यास मुख्यालय अथवा केन्द्रीय मुख्यालय बनाये जाने पर केन्द्रीय मुख्यालय पर दर्ज किया जाता रहेगा।
4. न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत
5. न्यास के उद्देश्य न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे –
   I. आदि कालीन निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता का संरक्षण, विस्तार एवं प्रचार प्रसार करना एवं निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों का खोज, सदस्यता, पंजीकरण करते व कराते हुए उनके समूह समुदाय निषाद समाज को संगठित और एकत्र करके उनका देखभाल, सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास करना तथा निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता

रामजीत

से सम्बंधित धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजन, प्रयोजन के कार्यों तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करना और कराना न्यास का बुनियादी उद्देश्य होगा।

II. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के बच्चों, किशोरों और युवा पीढ़ी के भीतर धार्मिक, संसकारिक, तर्कपरकता, वैज्ञानिक जीवन दृष्टि तथा सामूहिकता सहकारिता , समता, जनकल्याण और वाद-विवाद से परे की भावना पैदा करने के लिए सांस्कृतिक सामाजिक- शैक्षिक- कार्यो का संचालन तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करेगा और करायेगा।

III. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता में आने वाले देवी देवताओं महापुरूषों के पुराने, नये स्थलों मन्दिरों का निर्माण, जीर्णोद्धार, रंगाई पुताई उसके आस पास फूल बागान वृक्षारोपड़ आदि तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करेगा और करायेगा तथा अन्य के भी मन्दिरों, देवालयों का भी संरक्षण स्थानीय लोगों के सहयोग और सानिध्य में करायेगा।

IV. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के देवस्थलों मन्दिरों में पूजा अर्चना करने के सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए आवश्यक सुविधा, पंडा पुजारी का चयन एवं निष्कासन आदि तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करेगा और करायेगा।

V. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के धार्मिक, बाल साहित्य तथा अन्य पत्र पत्रिका का नियमित प्रकाशन, पुस्तकों एवं पुस्तिकाओं का प्रकाशन, चित्रोंउद्धरणों- पोस्टरों का प्रकाशन अव्यावसायिक रूप से तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करेगा और करायागा।

VI. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए न्यास समय समय- पर निबन्ध प्रतियोगिता, रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता तथा गायन प्रतियोगिता, नौकायन एवं जल क्रीणा प्रतियोगिता आदि कार्यक्रमों का आयोजन करेगा उन सब में प्रोत्साहन, पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करेगा और करायेगा।

VII. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के योग्य जोड़ो का मिलान कराना, सामूहिक विवाह समारोह, नदी जलाशय की साफ सफाई सुरक्षा, भूगर्भ जल एवं जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के कार्यों सहित छुट्टा पशुओं का संरक्षण उनके रख रखाव की व्यवस्था एवं अनाथालय, वृद्धाश्रम, महिला आश्रम, महिला संरक्षण गृह, बाल संरक्षण गृह आदि की स्थापना, व्यवस्था, संरक्षण एवं संचालन करेगा व करायेगा।

VIII. न्यास निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के नई पीढ़ी के सांस्कृतिक स्तरोन्नयन और ज्ञानार्जन के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, विद्यालय, पाठशाला का स्थापना, उन्नयन, विकास एवं संचालन करेगा तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करेगा और करायेगा।

रामजीत

आवेदन सं॰: 202100984000015

न्यास पत्र

बही सं॰: 4 रजिस्ट्रेशन सं॰: 1 वर्ष: 2021

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्री रामजीत , रामजीत
पुत्र श्री स्व॰ सनेही
व्यवसाय : कृषि
निवासी: निवासी ग्राम- सलोमी महिमापुर पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 01/01/2021 एवं 12:19:28 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार सिंह
उप निबंधक :सदर
जौनपुर
01/01/2021

हसीब अहमद ,
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

IX. न्यास निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के समय समय- पर धार्मिक, बाल साहित्य एवं अन्य लेखकों और संस्कृतिकर्मियों को आमन्त्रित करके संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करेगा और करायेगा।

X. न्यास निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चन्दा, दान अनुदान, सहयोग प्राप्त कर सकेगा और उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करेगा और करायेगा।

XI. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक साहित्य के प्रकाशन के लिए एक मुद्रण प्रतिष्ठान (प्रिण्टिंग प्रेस भी स्थापित कर सकेगा तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करेगा और करायेगा।

XII. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के कारबार व्यापार उद्योग उद्यम करने वाले व्यक्तियों को एकत्र करके मत्स्य व्यापार मण्डल, मछुआ मण्डल, नाव जाल मालिक मण्डल, गोताखोर मण्डल, नाविक मण्डल आदि का निर्माण करके उनके कारबार, व्यापार, उद्योग, उद्यम का संरक्षण, देखभाल, सुरक्षा एवं रख रखाव करना तथा आपसी सहयोग, मेलजोल और एकता से उससे सम्बन्धित सुविधाओं व्यवस्थाओं एवं अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करना और कराना।

XIII. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के लोगों के एकता विकास और सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिये जल यातायात, जल माल वाहक, बन्दरगाह का संचालन सुरक्षा सम्वर्धन विकास, शोध समृद्धि एवं उनसे सम्बन्धित कार्यों को करेगा।

XIV. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के सदस्यों को आकस्मिक दुःखद घटना सहायता, चिकित्सा सहायता, आपदा राहत, कन्या विवाह सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, आर्थिक निर्धनता सहायता, व्यवसाय सहायता, शिक्षा सहायता, कम ब्याज पर ऋण सहायता, विधवा सहायता, अनाथ सहायता, आवास निवास सहायता, भूमिहीन पात्र वयक्तियों को भूमि वयवस्था शासन प्रशासन के सहयोग से करना एवं अन्य आवश्यक सहयोग एवं सहायता का उपबन्ध करना एवं सरकार द्वारा लागू योजनाओं अस्तु सीडा, डूडा, नाबार्ड, नोराड, समाज कल्याण विभाग, सिप्सा, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आदि विभागों के सहयोग से उनके द्वारा लागू व्यवस्था का सहायता सहयोग करते व कराते हुए पंचायत उद्योग एवं ग्रामीण विकास के कार्यो को करना एवं कराना।

XV. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के व्यक्तियों तथा उनके बच्चों, किशोरों, किशोरियों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए समय समय पर सांस्कृतिक कार्यशालाओं, शिविरों और शैक्षिक-सांस्कृतिक भ्रमण कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करना और कराना साथ ही साथ समाज के शहीदों, महापुरुषों, वैज्ञानिकों एवं अन्य ख्यातिलब्ध व्यक्तियों के कृतियों का संकलन तथा उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजन प्रयोजन करना व कराना तथा समय-समय पर धार्मिक, बाल साहित्य एवं अन्य लेखकों और संस्कृतिकर्मियों को आमन्त्रित करके संगोष्ठियों

रामजीत

आवेदन सं०: 202100984000015

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 1 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री रामजीत, पुत्र श्री स्व० सनेही

निवासी: निवासी ग्राम- सलोनी महिमापुर पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

रामजीत

व्यवसाय: कृषि

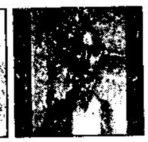

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री नन्दलाल निषाद, पुत्र श्री स्व० राजाराम निषाद

निवासी: मियाँपुर हवेली सदर जौनपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2

श्री मनोज कुमार नागर, पुत्र श्री कैलाश प्रसाद नागर

निवासी: उमरपुर शास्त्रीनगर हवेली सदर जौनपुर

व्यवसाय: व्यापार

मनोज कुमार नागर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
जौनपुर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

हसीब अहमद ,
निबंधक लिपिक

सदर

प्रिंट करें

और कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करना और कराना।

XVI. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के संरक्षण एवं व्यवस्था के लिए निषाद सेना, निषाद आर्मी, निषाद सेवा दल, निषाद सेवा समिति, निषाद फाउंडेशन, एकलव्य सेना, एकलव्य आर्मी, एकलव्य सेवा दल, एकलव्य सेवा समिति, एकलव्य फाउंडेशन, फूलन सेना, फूलन आर्मी, फूलन सेवा दल, फूलन सेवा समिति, फूलन फाउंडेशन, कश्यप सेना, कश्यप आर्मी, कश्यप सेवा दल, कश्यप सेवा समिति, कश्यप फाउंडेशन, गोंड सेना, गोंड आर्मी, गोंड सेवा दल, गोंड सेवा समिति, गोंड फाउंडेशन, निषाद राज सेना, निषाद राज आर्मी, निषाद राज सेवा दल, निषाद राज सेवा समिति, निषाद राज फाउंडेशन आदि जो किसी भी नाम से निषाद संसकृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं से सहयोग करके या उन्हे सामिल करके किसी एक विषय या क्षेत्र के समबन्ध में कार्य करने और कराने के कार्य करना।

XVII. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के मत्स्य व्यापार मण्डल के सदस्यों के जीवन स्तर में सुधार एवं वृद्धि के लिए स्वयं सहायता समूहों का संचालन, बीमा, बचत स्कीमों, घरेलू एवं गृह उद्योग का संचालन, मण्डी हाट बाजार मेला तथा उनसे सम्बन्धित अन्य कार्यों का व्यवस्था एवं प्रबंध करेगा और करायेगा।

XVIII. निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के समूह निषाद समाज के नौकाओं एवं जालों का पंजीकरण करते हुए नौका व जाल का अधीक्षण एवं नौका चालकों, मालिकों, सहयोगियों, मछुआरों का अधीक्षण, संरक्षण, सहयोग, उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये जल एम्बुलेंश की व्यवस्था, संचालन प्रबंध आदि कार्यों को करना एवं कराना।

XIX. न्यास समान उद्देश्यों को लेकर कार्यरत संस्थाओं से सहयोग लेगा तथा उनको सहयोग करेगा।

6. न्यासीगण

i. प्रथम न्यासी बोर्ड प्रथम न्यासी बोर्ड जनपद जौनपुर की बोर्ड निम्न प्ररूप में होगी जिसमें से अधिकतम पूर्ण करने का प्रयास किया गया है जो बाकी बचा है उसे बोर्ड के सदस्यगण शीघ्रतम पूर्ण करके न्यास का कार्य करेंगें

क्र.	पद	नाम पिता का नाम	पता	मो.नं.
1	अध्यक्ष जिले से	संजीव कुमार नागर एडवोकेट	हरीपुर, जलालपुर, केराकत,	7897314809
2	कोषाध्यक्ष (नगरपालिका परिषदजौनपुर)	घनश्याम	खासनपुर, सदर, जौनपुर	9565525451
3	प्रबंधक (नगरपालिका परिषद जौनपुर)	रमेश कुमार	चकप्यारअली, सदर,	7275701101
4	महाप्रबंधक मल्लाह परिवार	राजनाथ निषाद	उत्तरगावां, धर्मापुर, सदर जौनपुर	9005352128
5	महाप्रबंधक केवट बिंद परिवार	संजीवन बिंद	मनेछा, खेतासराय, सदर, जौनपुर	9451153606
6	महाप्रबंधक भील मुसहर परिवार	रामजीत वनवासी	सलोनीमहिमापुर, सदर, जौनपुर	9198918734
7	महाप्रबंधक गोंड परिवार	उदयराज गोंड	डिहियां, शाहगंज जौनपुर	9616734150
8	महाप्रबंधक कहार कश्यप परिवार	रामआसरे	कादीपुर, धर्मापुर, सदर जौनपुर	8726501121
9	महाप्रबंधक बेनवंशी	लक्ष्मन बेनवंशी	नखास, सदर, जौनपुर	6393458198
10	उपाध्यक्ष तहसील सदर	प्रेमादेवी निषाद	मियांपुर सदर जौनपुर	8576852799
11	उपाध्यक्ष तहसील केराकत	जितेन्द्र निषाद	सरौनी पूरब पट्टी केराकत जौनपुर	9935503863
12	उपाध्यक्ष तहसील शाहगंज	कृष्णचन्द	कादीपुर, सुईथाकला, शाहगंज, जौ.	7238049017
13	सचिव ब्लाक केराकत	सुदामा निषाद	सरौनी पूरब पट्टी केराकत जौनपुर	7236850037
14	सचिव ब्लाक करजाकला	रामअवतार निषाद	रामपुर दवन सिंह, करंजाकला, सदर	7309829295
15	सचिव ब्लाक सिरकोनी	गुल्लू निषाद	मलिकबहादुरपुर, सिरकोनी, जौनपुर	9616788968
16	सचिव ब्लाक शाहगंज,	पारसनाथ बिंद	बादशाहीतालाब, मनेछा, शाहगंज जौनपुर	9695173771

रामजीत

17	सचिव ब्लाक धर्मापुर,	हुन्नुर मुसहर	किर्तापुर, धर्मापुर, सदर, जौनपुर	8953525487
18	सचिव ब्लाक जलालपुर	सूरज निषाद	ऊदपुर, जलालपुर, केराकत, जौनपुर	9648589990
19	प्रभारी सचिव ब्लाक बक्सा	विनोद कुमार निषाद	कोहड़ासुल्तानपुर, सदर, जौनपुर	8858311523
20	सचिव ब्लाक सुजानगंज	सुजीत निषाद	बौरई, सुजानगंज, जौनपुर	9170414799
21	कार्यकारी सदस्य लो. स. मछलीशहर	इन्द्रसेन कुमार	किर्तापुर, धर्मापुर, सदर, जौनपुर	9792779226
22	कार्यकारी सदस्य लोक सभा सदर	सुरेन्द्र कुमार निषाद	रामपुर दवन सिंह, करंजाकला, सदर	9621996024
23	कार्यकारी सदस्य विधानसभा मल्हनी	मगनलाल निषाद	कोहड़ासुल्तानपुर, सदर, जौनपुर	9336016681
24	कार्यकारी सदस्य विधानसभा शाहगंज	संजय कुमार बिंद	मलहज, शाहगंज, जौनपुर	9651506648
25	अध्यक्ष नगर जौनपुर	धर्मेन्द्र निषाद	चकप्यारअली, सदर, जौनपुर	

उपाध्यक्ष तहसील बदलापुर, उपाध्यक्ष तहसील मछलीशहर, उपाध्यक्ष तहसील मड़ियाहूँ, आडीटर नगरपंचायत जफराबाद, आडीटर नगरपंचायत केराकत, आडीटर नगरपंचायत खेतासराय, आडीटर नगरपंचायत शाहगंज, आडीटर नगरपंचायत वदलापुर, आडीटर नगरपंचायत मछलीशहर, आडीटर नगरपंचायत मुंगराबादशाहपुर, आडीटर नगरपंचायत मड़ियाहूँ, आडीटर नगरपंचायत कचगाँव, , , सचिव ब्लाक चन्दवक, सचिव ब्लाक मुफ्तीगंज, सचिव ब्लाक खेतासराय, , सचिव ब्लाक खुटहन, सचिव ब्लाक बदलापुर, सचिव ब्लाक महराजगंज, , सचिव ब्लाक सिकरारा, सचिव ब्लाक मछहीशहर, , सचिद ब्लाक मुंगराबादशाहपुर, सचिव ब्लाक रामपुर, सचिव ब्लाक रामनगर, सचिव ब्लाक मड़ियाहूँ, , सचिव ब्लाक सुइथाकला कार्यकारी सदस्य विधानसभा बदलापुर, , , , कार्यकारी स. वि.स. मुगराबादशाहपुर , कार्यकारी सदस्य वि. स. मछलीशहर, कार्यकारी सदस्य विधानसभा मड़ियाहूँ, कार्यकारी सदस्य वि. स. जफराबाद, कार्यकारी सदस्य विधानसभा केराकत के पदों पर पदाधिकारियों को शीघ्रातिशीघ्र रखकर कार्य करेंगे।

II. हर स्थानीय स्तर पर स्थाई न्यासी बोर्ड

a) चूंकि यह न्यास निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के लिये बनायी जा रही है हर स्थान पर निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के निवासित हर परिवार एवं हर सदस्य का अपने निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले लोगों के प्रति कुछ न कुछ लगाव है और सबका इस पर अप्रत्यक्ष संरक्षण और सुरक्षा का अधिकार और दायित्व है लिहाजा हर स्तर पर निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले निवासित पुस्तैनी परिवार और उनके सभी सदस्य इस न्यास के न्यासी लाभार्थी होंगे परन्तु हर स्तर पर उसी में रहने वाले ही कुछ लोग अपनी मानसिकता बद कर लिये हैं और निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता की प्रतिष्ठा सौंदर्य एवं महत्ता को कम करने पर तुले हुए हैं जिसकी वजह से इस ट्रस्ट का निर्माण किया जा रहा है इसलिए हर स्तर पर निषाद संस्कृति और निषाद सभ्यता को मानने वाले पुस्तैनी निवासियों की पंजिका बनायेगी जिससे सम्पृक्त विरोधी परिवार पंजिका भी बनायेगी जिसमें दर्ज किये गये परिवार विरोधी सदस्य परिवार माने जायेंगे और पुस्तैनी निवासी पंजिका में होने के बाद भी न्यास के न्यासी लाभार्थी और सहयोगी सदस्य में नहीं रहेंगे और न न्यास ऐसे विरोधी सदस्य पंजिका के लोगों से कोई संबंध रखेगी। समाज विरोधी कार्य करने वाले को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा।(स्पस्टीकरणः यहां पर स्थान से गाँव वार्ड मौजा या मजरा जिस नाम से भी जाना जाता हो जितने क्षेत्र के लोगों को एकत्रित होने में आसानी रहती हो से है)

b) विरोधी सदस्य पंजिका में दर्ज परिवार उनके जिस कार्य और व्यवहार से उन्हें विरोधी परिवार पंजिका में दर्ज किया गया है के कारण हुई क्षति की भरपाई कर देते हैं अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और अपने हकदार की भूमि को छोड़ देते हैं तब उन्हें उस विरोधी परिवार पंजिका में से काट दिये जाने पर विचार किया जाएगा और काट दिये जाने के बाद न्यास के लाभार्थी और सहयोगी हो सकेंगे परन्तु न्यासी मण्डल में होने के लिए कम से कम सात वर्ष तक कार्य करने के उपरांत ही चयनित हो सकेंगे।

c) विरोधी परिवार को छोडकर शेष परिवारों के क्रमागत बारह बारह परिवारों में से क्रमश प्रथम वर्ष प्रथम परिवार को मिलाकर स्थाई न्यासी बोर्ड होगा जिसमें प्रधान, मुख्य और श्रेष्ठ तीन पदाधिकारी एवं शेष साधारण सदस्य होंगे सदस्यों की संख्या बटे 12 माह पर पद एक स्थान न्यागमित होगा और अपने कार्यकाल के समाप्ती के दिन बैठक आहूत करके अगले मण्डल का शपथ ग्रहण कराते हुए पदभार न्यागमित कर देंगे।

III. **हर स्तर पर न्यास की तीन अस्थायी न्यासी बोर्ड होगा**

a) 60 वर्ष से ऊपर के उम्रदराज लोगों को मिलाकर **संरक्षक न्यासी बोर्ड** बनेगा जिसमें न्यासपति और न्यासपाल दो पदाधिकारी होंगे जिन्हें संरक्षक सदस्यों के बहुमत के निवेदन पर किसी के आवेदन पर विचार विमर्श करके कार्यकारी न्यासीमण्डल के किसी भी पदाधिकारी को हटाने का अधिकार होगा, जिनका कार्यकाल भी एक वर्ष या वरिष्ठ अथवा अन्य किसी संरक्षक सदस्य की मृत्यु होगी, तत्पश्चात नये संरक्षक न्यासीमण्डल को शपथ ग्रहण समारोह द्वारा पदभार दिलाया जायेगा।

b) 50 से 60 वर्ष के लोगों को मिलाकर **चयन न्यासी बोर्ड** बनेगा जिसमें सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति चयन न्यासीमण्डलायुक्त होंगे जिनके देखरेख में कार्यकारी न्यासी बोर्ड का चयन किया जायेगा ।

c) 18 से 50 वर्ष के उम्र के लोगों में से चयन न्यासीमण्डल द्वारा **कार्यकारी न्यासी बोर्ड** का चयन पंचपरीक्षण स्थान एवं जातीय न्यागमन पद्धति से किया जाएगा। जिसमें एक अध्यक्ष, उसके राजधानी स्तर से एक कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधक, निषाद संस्कृति और सभ्यता को मानने जानने और उसमें सामिल होने वाले जातियों से प्रत्येक से उस स्तर के एक एक महाप्रबंधक, उसके निम्न स्तर के बराबर उपाध्यक्ष, उसमें समाहित निकाय के बराबर आडिटर, उसके निम्न स्तर के निम्न स्तर के बराबर सचिव व उसमें समाहित रकजनीतिक स्तर के बराबर कार्यकारी सदस्य को मिलाकर कार्यकारी न्यासी बोर्ड होगा। जिसमें सचिव व कार्यकारी सदस्य के पद के लिए तीन वर्ष न्यास में कार्य करने वाले, आडिटर और कोषाध्यक्ष पद के लिए पांच वर्ष कार्य करने वाले, उपाध्यक्ष के लिए सात वर्ष कार्य करने वाले तथा अध्यक्ष पद के लिए 10 वर्ष कार्य करने वाले ही आवेदन के योग्य होंगे ।

7. न्यास का प्रबन्धन

a. न्यास के प्रबन्धन, न्यास की सम्पत्ति पर नियन्त्रण रखने तथा न्यास के समस्त कार्य के संचालन के समस्त अधिकारप्राधिकार- न्यासी बोर्ड में निहित होंगे। न्यासियों के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वे समय समय- पर न्यास के कुशल प्रबन्धन एवं प्रशासन के लिए नियम बनायें बशर्ते कि ये नियम आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15), 11 और 13 और 80-जी के प्राविधानों के अनुकूल हों।

b. न्यास के कुशल प्रबन्धन, आय व्यय- के हिसाब किताब- तथा अन्य कार्यों के संचालन हेतु न्यासी बोर्ड की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी।

c. सभी बैठकों के लिए कोरम पूरा करने हेतु न्यासी बोर्ड के दो तिहाई- सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

d. बैठकों की कार्यवाही कार्यवृत्ति पुस्तिका में दर्ज की जायेगी।

रामप्रीत

e. न्यास अपने बैंक खाते का संचालन कार्यकारी न्यासी बोर्ड अध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं उम्र में सीनियर सचिव के हस्ताक्षर से खोले और संचालित होंगे परन्तु पैसे उपयोग के लिए संरक्षक न्यासी बोर्ड के दोनो पदाधिकारियों से संस्तुति अनिवार्य होगी ।

8. न्यास हर तीसरे माह के अंत में एक न्यासी बोर्ड का चयन/न्यागमन करेगा।

9. न्यासीगण के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व

a. न्यासीगण को न्यासकोष प्रबन्धन व न्यास के कार्यों के सम्पादन हेतु आर्थिक स्रोत संसाधन-जुटाने तथा व्यय आदि का अधिकार होगा।

b. न्यासीगण को न्यास के वित्तीय कार्यों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार बैंक खाते खोलने का अधिकार होगा।

c. न्यास के हित में तथा उसकी प्रगति और विस्तार के लिए न्यासीगण को न्यासी बोर्ड के दो तिहाई बहुमत से चलअचल/ सम्पत्तिय परिसम्पत्तियों का क्रय विक्रय- करने, पट्टे पर लेने,देने-भवन निर्माण, ट्रस्ट भवनों के पुनरुद्धार व विकास करने का अधिकार होगा।

d. न्यास की सम्पत्तियों व अन्य के रक्षण, संरक्षण व अनुरक्षण हेतु वाद दायर करनेलड़ने/ तथा अन्य किसी भी प्रकार की क़ानूनी कार्रवाई करने का अधिकार न्यासीगण के पास होगा परन्तु इस न्यास से सम्बन्धित वाद का क्षेत्राधिकार केवल जिला न्यायालय जौनपुर को ही होगा।

e. न्यास के कार्यों हेतु न्यास की **सम्पतियोंपरिसम्पत्तियों-** को गिरवी रखकर बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थानों अथवा अन्य उचित तरीके से ऋण लेने का अधिकार न्यासीगण को होगा।

f. न्यासीगण को आवश्यकतानुसार न्यास के कार्यों के सम्पादन हेतु नियमितसंविदा/ के आधार पर कर्मचारी रखने का अधिकार होगा।

g. न्यास निकाय (Trust Corpus) के विस्तार हेतु न्यासीगण को न्यासकर्ताव्यक्तियों/व्यक्ति/ से दान, स्वैच्छिक सहयोग, उपहार, चलअचल/ सम्पत्तियों के वसीयत, मासिक अथवा वार्षिक चन्दा आमन्त्रित करने व प्राप्त करने का अधिकार होगा। न्यास केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से, सरकारी विभागों एवं संस्थाओं से, औद्योगिक व्यावसायिक- घरानों से, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से, विदेशी फण्डिंग एजेंसियों से तथा संसदीय राजनीतिक पार्टियों से किसी भी प्रकार का अनुदान या वित्तीय सहयोग ले सकेगा।

h. न्यास को किसी भी स्रोत से होने वाली समस्त आय का उपयोग न्यास के कार्यों व न्यास के विस्तार में करने का न्यासीगण को अधिकार होगा।

i. न्यास के आधारभूत उद्देश्य को अपरिवर्तनीय रखते हुए न्यासीगण अन्य उद्देश्यों को, जो कि आधारभूत उद्देश्य से समानता रखते हों, जोड़ सकते हैं। इसके लिए न्यासीमण्डल के दो तिहाई बहुमत की स्वीकृति अनिवार्य होगी।

j. न्यास की प्रगति एवं विस्तार के लिए बुनियादी फैसले न्यासीगण समस्त न्यासी बोर्ड के दो तिहाई बहुमत से ही लेंगे तथा उनके द्वारा लिया गया फैसला अन्तिम होगा।

k. पदेन न्यासीगण यदि अपने पद से हट जाते हैं उनके पद पर कोई और व्यक्ति पदेन न्यासीगण हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पुर्व के पदेन न्यासीगण यदि न्यास में सामिल रहना चाहें तो वे विशिष्ट न्यासी के लिए अपनी सदस्यता आवेदन करके संरक्षक न्यासी बोर्ड की संस्तुति पर सदस्य हो सकेंगे ।

रामप्रीत

10. न्यास के लिए वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिशम्बर तक होगा। न्यासीगण द्वारा न्यास के अन्तर्गत की गयी समस्त प्राप्तियों अदायगियों को उचित खातों में दर्ज करते हुए, प्राप्ति अदायगी- खाता व आय - व्यय खाता तैयार कर प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक वित्तीय पक्काचिट्ठा- (Balance Sheet) तैयार करना होगा। पक्काचिट्ठा-- की विधिवत लेखापरीक्षा- मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से कराना होगा। **वर्तमान में इस ट्रस्ट / न्यास के पास कोई सम्पत्ति नहीं है।**

11. न्यास की सम्पत्तियों परिसम्पत्तियों- से न्यासीगण को या किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी तरह का निजी लाभ लेने का अधिकार नहीं होगा। न्यास के बुनियादी उद्देश्यों की पूर्ति में न्यासी बोर्ड की अक्षमता के कारण न्यास के विघटन अथवा समापन की स्थिति में प्रथम न्यासी बोर्ड के द्वारा निष्पादित किया जायेगा।

12. यह स्थापित न्यास अटल है।

मसविदाकर्ता संजीव कुमार नागर एडवोकेट

01 जनवरी 2021

रामजीत

नि.

नन्दलाल निषाद
स्व. राजाराम निषाद
पता - मियांपुर दीवानी कचेहरी गेट जौनपुर

मनोज कुमार नागर
पुत्र कैलाश प्रसाद नाग.
पता - उमरपुर शाहगंज
जौनपुर

आवेदन सं०: 202100984600015

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 165 के पृष्ठ 31 से 48 तक क्रमांक 1 पर दिनाँक 01/01/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सन्तोष कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
जौनपुर
01/01/2021

प्रिंट करें